दिनांक 14.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इटावा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र का निर्माण व तस्करी करने वाले 02 शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड में किया गया गिरफ्तार,

- **25 निर्मित/अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 16 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **03 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटरसाइकिल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुराने अपराधियों के सत्यापन के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना बकेवर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गयी।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद इटावा पुलिस द्वारा पुराने अपराधियों के सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा गिरोह बनाकर अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी जैसी घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के आदेश के अनुपालन में दिनांक 13/14.12.2025 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत इकनौर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इकनौर तिराहे से आगे स्थित जंगल में कुछ अपराधी एकत्र होकर असलाहा का निर्माण कर रहे हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गयी। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो अभियुक्त सज्जन सिंह के बांये पैर में तथा अभिषेक के दांये पैर में गोली लगी है जिन्हे घायल अवस्था में ग्राम इकनौर के जंगल से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र कप्तान सिंह निवासी नगला मोढादेव थाना भरथना जनपद इटावा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम निरंतर प्रयासरत है।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 14 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अवैध तमंचा 315 बोर (अर्धनिर्मित), 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अवैध अधिया 315 बोर, 01 अवैध बन्दूक 12 बोर, 01 अवैध देशी रिवाल्वर 32 बोर, 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर (अर्धनिर्मित), 03 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 अवैध कारतूस 315 बोर, 03 अवैध जिन्दा कारतूस 5.56 एमएम बोर, 03 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर, 03 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 अवैध खोखा

कारतूस 315 बोर, 02 अवैध जिन्दा कारतूस 9 एमएम, 02 एण्ड्राइड मोबाइल, 01 कीपैड मोबाइल, 01 मोटरसाइकिल चोरी की (घटना में प्रयुक्त) एवं शस्त्र बनाने बाले उपकरण बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग अवैध शस्त्र निर्मित कर जनपद इटावा व आस पास के जनपदो में पिस्टल व रिवाल्वर की तस्करी का कार्य करते हैं। जिस कारण हम लोगों द्वारा अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 415/2025 धारा 109 (पुलिस मुठभेड) 317(2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/5/7/10/25/27 A ACT थाना बकेवर जनपद इटावा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1. सज्जन सिंह पुत्र विश्वनाथ निवासी सराय चोरी थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 46 वर्ष।
2. अभिषेक पुत्र राकेश निवासी निवाडी कला थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 21 करीब वर्ष।

<u>पंजीकृत अभियोगः</u>

1. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 109 (पुलिस मुठभेड) 317(2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/5/7/10/25/27 A ACT थाना बकेवर जनपद इटावा।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त सज्जन सिंह पुत्र विश्वनाथ ठाकुर

1. मु0अ0सं0 231/16 धारा 307 भादवि0 थाना भरथना जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 233/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 22/16 धारा 25 A आर्म्स एक्ट थाना पटियाली जनपद कासगंज।
4. मु0अ0सं0 190/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेन पश्चिम जनपद कमिश्नरेट कानपुर।
5. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 109 (पुलिस मुठभेड) 317(2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/5/7/10/25/27 A ACT थाना बकेवर जनपद इटावा।।

अभियुक्त अभिषेक पुत्र राकेश दोहरे

1. मु0अ0सं0 281/21 धारा 380 भादवि0 थाना बकेवर जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 347/21 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना बकेवर जनपद इटावा ।
3. मु0अ0सं0 348/21 धारा 401 भादवि0 थाना बकेवर जनपद इटावा ।
4. मु0अ0सं0 351/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 109 (पुलिस मुठभेड) 317(2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/5/7/10/25/27 A ACT थाना बकेवर जनपद इटावा।

<u>बरामदगीः-</u>

1. 14 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 03 अवैध तमंचा 315 बोर (अर्धनिर्मित)।
3. 01 अवैध तमंचा 12 बोर।
4. 01 अवैध अधिया 315 बोर।
5. 01 अवैध बन्दूक 12 बोर।
6. 01 अवैध देशी रिवाल्वर 32 बोर।
7. 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर (अर्धनिर्मित)।
8. 03 अवैध पिस्टल 32 बोर।
9. 02 अवैध कारतूस 315 बोर।

10. 03 अवैध जिन्दा कारतूस 5.56 एमएम बोर।
11. 03 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर।
12. 03 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर।
13. 03 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर।
14. 02 अवैध जिन्दा कारतूस 9 एमएम।
15. 02 एण्ड्राइड मोबाइल।
16. 01 कीपैड मोबाइल।
17. 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)।
18. 02 रंद्वा (1 छोटा,1 बडा)
19. 02 रेगमाल व 04 रेगमाल टुकडों में।
20. 02 लोहा काटने की आरी
21. 03 हथौडा (लकडी के बैंट वाली)
22. 02 हथौडी (लोहे की)
23. 03 रेती तिकोनी
24. 03 रेती लोहे की
25. 01 जमूडां
26. 02 प्लास
27. 03 पेचकस
28. 02 छैनी,
29. 05 सुम्मी
30. 01 डिब्बी पेच
31. 01 इंची टेप
32. 06 लोहा काटने की आरी की पत्ती
33. 24 रिपिट
34. 01 धार पत्थर
35. 01 संडासी लोहे की
36. 02 चार्जिंग टार्च
37. 02 बण्डल बीडी
38. 03 माचिस
39. 01 भाथी
40. 01 लोहे की बांक
41. 02 लोहे के गाटर की निहाई
42. 06 नाल अर्धनिर्मित लोहे की
43. जला व अधजला कोयला
44. 01 फावडा
45. 01 तसला
46. 01 बाल्टी
47. 01 समसी

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- रुपये से पुरस्कृत किया गया है।

दिनांक 14.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ यूनिट आगरा द्वारा फ़र्ज़ी, फ़ैमिली मैन व अन्य कई फ़िल्मों और वेब सीरीज में सहायक कलाकार के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को MDMA की तस्करी के मामले में मुंबई से गिरफ़्तार किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एएनटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ यूनिट आगरा द्वारा मु0अ0स0 380/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना न्यू आगरा जनपद आगरा में करीब 01 वर्ष से वांछित चल रहे अभियुक्त मानसिंह पुत्र बाबूलाल मरीना इन्कलेब विल्डिग मालवानी मुम्वई से दिनांक 11-12-2025 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार कार्यवाही कर मुम्बई से लाकर थाना न्यू आगरा में दाखिल किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः– अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह मूल रूप से राजौरी गार्डन दिल्ली का रहनें वाला है। वर्ष 2008 में वह मूम्बई चला गया था और फिल्मी दुनियॉ में एण्ट्री करनें की कोशिश करनें लगा। इस दौरान उसनें कई फिल्मों और वेव सीरीज में छोटे–छोटे रोल किये, इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और उसके कहनें से वह मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त होकर कार्य करनें लगा। उसके द्वारा अपने साथी के साथ कार्य करते हुए कई बार मादक पदार्थ एमडीएमए को आगरा के एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया है ।

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पताः–

1- मान सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी म0न0 एफ 351 जेजे कालौनी इन्द्रपुरी थाना इन्द्रपुरी दिल्ली ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थानः–

दि0– 11-12-2025 स्थान– मरीना इन्कलेब विल्डिग मालवानी मुम्बई ।

कार्यवाही करनें वाली टीम–

1- उ0नि0 श्री विनोद कुमार एएनटीएफ थाना झांसी

2- मु0आ0 प्रदीप कुमार एएनटीएफ थाना झांसी

3- आरक्षी गजेन्द्र सिंह एएनटीएफ थाना झांसी

जनपद मेरठ/थाना परीक्षितगढ़

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13-12-2025 को थाना परीक्षितगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहमदपुरी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शहजाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना परीक्षितगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना परीक्षितगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहजाद निवासी राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 98 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14-12-2025 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–साजिद 2–रविन्द्र 3–मनोज को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 98 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-12-2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त साजिद के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त रविन्द्र के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद निवासी मो0 वंशीधर कस्बा व थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–रविन्द्र निवासी ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–मनोज निवासी ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 98 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना जहाँगीराबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 29 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14-12-2025 को थाना जहाँगीराबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुनीमाबाद शराब ठेका के पास से 05 अभियुक्तों 1–मनोज कुमार 2–नीलू 3–दयाराम 4–उमेश 5–रविन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 29 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मनोज कुमार, दयाराम के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09–09 अभियोग, अभियुक्त नीलू के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त उमेश उर्फ अभिषेक के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त रविन्द्र के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मनोज कुमार निवासी ग्राम अटवा थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी।

2–नीलू निवासी लखनापुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

3–दयाराम निवासी अटहरा थाना घुंघेटर जनपद बाराबंकी।

4–उमेश निवासी अटहरा थाना घुंघेटर जनपद बाराबंकी।

5–रविन्द्र निवासी ग्राम जाफरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 29 हजार रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

———————